

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

ब इजलास पुष्पा हरवानी ( R.A.S. )

मुकदमा नं. 42/14

निर्णय दिनांक 13/6/19

बाबरू पुत्र देवा जाति कीर निवासी धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा मृतक जय्ये का०मु०:-

1. भैरूलाल पुत्र बाबरू जाति कीर निवासी धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम झोपडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. प्रकाश पुत्र बाबरू जाति कीर निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम झोपडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
3. सत्यनारायण पुत्र बाबरू जाति कीर निवासी धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी झोपडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
4. कल्लीबाई पुत्री बाबरू पत्नी राधेश्याम जाति कीर निवासी ग्राम धूलेट हाल निवासी छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. भूलीबाई बेवा बाबरू जाति कीर निवासी धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम झोपडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. कैलाशबाई पुत्री गिरधारी जाति कीर निवासी ग्राम लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी नाहरसिंगी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
2. सीताबाई पुत्री गिरधारी जाति कीर निवासी लोढाहेडा तहसील कनवास।
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सांगोद जिला कोटा जय्ये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जय्ये तहसीलदार कनवास।

—प्रतिवादी

उपस्थित - वादीगण की ओर से एडवोकेट महेश कुमार मालव  
प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के विरुद्ध एक तरफा  
प्रतिवादी क्रम 04 परोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास

दावा अन्तर्गत धारा 88.89.188.53.54 आर.टी.एक्ट

निर्णय

मुकदमा नंबर 42/14 सन् 2014 यह मुकदमा आव वास्ते इनाफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव मिनजानिब मुदईव प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के विरुद्ध एक तरफा तथा प्रतिवादी क्रम 04

उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कोटा (राज०)

परोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री जारी की जाती है, भूमि का खाता विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

क्र० स०	खातेदार का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नंबर	क्ष०	किस्म	लगान
1	सीताबाई पुत्री गिरधारी जाति कीर निवासी लोढाहेडा रहन एस.बी.बी.जे सांगोद सा.देह	चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार मण्डल धूलेट	205	0.565 (उत्तरी)	बारानी प्रथम	3.39
2	भैरूलाल, प्रकाश, सत्यनारायण पुत्रान बाबरू, कल्लीबाई पुत्री बाबरू भूलीबाई पत्नी बाबरू जाति कीर निवासी धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी झोपडिया तहसील रामगंजमण्डी	-----	205 / 1	0.565 दक्षिणी	बारानी प्रथम	3.39

उपरोक्त अनुसार अंतिम डिक्री जारी किया जावे तथा ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा का नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 21.06.2007 को नल एण्ड वाईड घोषित किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ...13/6/19...को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी  
( आर.ए.एस)  
उपखण्ड अधिकारी कनवास  
जिला कोटा

## अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

ब इजलास पुष्पा हरवानी ( R.A.S. )

मुकदमा नं. 42/14

निर्णय दिनांक 13/6/19

बाबरू पुत्र देवा जाति कीर निवासी धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा मृतक जर्ये का0मु0:-

1. भैरूलाल पुत्र बाबरू जाति कीर निवासी धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम झोपडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
2. प्रकाश पुत्र बाबरू जाति कीर निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम झोपडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
3. सत्यनारायण पुत्र बाबरू जाति कीर निवासी धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी झोपडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।
4. कल्लीबाई पुत्री बाबरू पत्नी राधेश्याम जाति कीर निवासी ग्राम धूलेट हाल निवासी छीपडदा तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. भूलीबाई बेवा बाबरू जाति कीर निवासी धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी ग्राम झोपडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

वादीगण

बनाम


1. कैलाशबाई पुत्री गिरधारी जाति कीर निवासी ग्राम लोढाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी नाहरसिंगी तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
2. सीताबाई पुत्री गिरधारी जाति कीर निवासी लोढाहेडा तहसील कनवास।
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सांगोद जिला कोटा जर्ये शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

—प्रतिवादी

उपस्थित — वादीगण की ओर से एडवाकेट महेश कुमार मालव  
प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के विरुद्ध एक तरफा  
प्रतिवादी क्रम 04 परोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास

दावा अन्तर्गत धारा 88.89.188.53.54 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नंबर 42/14 सन् 2014 यह मुकदमा आव वास्ते इनाफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार मालव मिनजानिब मुदईव प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के विरुद्ध एक तरफा तथा प्रतिवादी क्रम 04 परोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अंतिम डिक्री जारी की जाती है, भूमि का खाता विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

  
उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कोटा (राज.)

क्र० स०	खातेदार का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नंबर	क्ष०	किस्म	लगान
1	सीताबाई पुत्री गिरधारी जाति कीर निवासी लोढाहेडा रहन एस.बी.बी.जे सांगोद सा.देह	चरचडिया उर्फ काशीपुरा पटवार मण्डल धूलेट	205	0.565 (उत्तरी)	बारानी प्रथम	3.39
2	भैरूलाल, प्रकाश, सत्यनारायण पुत्रान बाबरू, कल्लीबाई पुत्री बाबरू भूलीबाई पत्नी बाबरू जाति कीर निवासी धूलेट तहसील कनवास हाल निवासी झोपडिया तहसील रामगंजमण्डी	-----	205/1	0.565 दक्षिणी	बारानी प्रथम	3.39

ग्राम चरचडिया उर्फ काशीपुरा का नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 21.06.2007 को नल एण्ड  
वाईड घोषित किया जाकर खारिज किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X .  
..मुबलिंग .... X ..बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की  
तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... माह ..... 2019 को जारी की गई।

मोहर .....

पुष्पा हरवानी  
( आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी कनवास  
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	-----		स्टाम्प वकालतनामा	-----	
स्टाम्प वकालतनामा	-----		स्टाम्प अर्जी	-----	
स्टाम्प वजह सबूत	-----		महनताना वकील	-----	
महनताना वकील	-----		खर्चा गवाहान	-----	
खर्चा गवाहान	-----		फीस कमिश्नर	-----	
फीस कमिश्नर	-----		बाबत इजराय हुकमनामा	-----	
बाबत इजराय हुकमनामा	-----		मुतफर्रिक	-----	
मुतफर्रिक	-----		मीजान	-----	
मीजान	-----				

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या  
नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कोटा (सज०)